GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.E(MPP)90/13/4 New Delhi, dated: 30.3.1993

The General Manager,
Central Railway,
Bombay VT.

Sub:-Monetary incentives in the form of Training Allowance to Faculty Members employed in Drivers Training School and Motormen Training School (now designated as Training Centres) at Kalyan and Kurla.

Ref:- Your letter No.HPB/854/T/D/TR/Spl Pay,dated 17.1.1991.

Please refer to this Ministry's letter No.E(MPP)86/13/2, dated 28.3.1989 and 5.2.91 wherein sanction of the Ministry of Rlys were communicated for grant of training allowance to the various training institutes.

2. The Ministry of Railways had been considering the question of extending the benefit of grant of training allowance to the Faculty members of other training institutes. As a result of the discussions held in the meeting of Departmental Council under JCM held with Board, it has now been decided that faculty drawn on deputation from the field for the purpose of imparting training in the Drivers Training School and Motormen Training School, (now designated as Training Centres) at Kalyan and Kurla respectively may also be granted training allowance @ 15% of the basic pay in accordance with the instructions communicated in Board's letter No. E(MPP)92/13/3, dated 14.9.92.

3. In case of Training Centres at Kalyan and Kurla, two posts of Assistant Electrical Engineers have been redesignated as Principals and they are also required to carry out the functions of AEEs as at present. Since management of training institutes is a full-time job, it is necessary that the incumbents of the posts of Principals should be put exclusively on these assignments. Principals of these Centres would, therefore, be eligible for grant of training allowance after these posts are held by them on full-time basis and after the selection is made in the manner as detailed in Para 5 (g) below.

4. With a view to enable the Principals of these training institutes to give due attention to training and to exercise a proper supervision, it is also necessary that these Principals should be physically located in these institutes. The grant of 15% training allowance to the faculty is subject to the AEE assuming full administrative charge of the Training Centres; They will in effect relieve the Chief Instructor of all administrative functions who will then carry out direct training to staff.

Contd. P...2...

5. The following guidelines should be observed for sanction of the training allowance:

(a) Faculty Members who are drawn on deputation from the field and whose duty is to impart training/education to the trainees may be granted training allowance at the rate of 15% of the basic pay in the revised scales of pay;

(b) Consequent to the grant of training allowance as mentioned in para (a) above, the existing training allowance, special pay, deputation pay and allowances thereon will not be admissible to the Faculty members drawn on deputation to these schools.

(c) Faculty members recruited directly and specifically for the training institutions are not eligible for this training allowance.

(d) Faculty means 'an employee' of the Government who joins a Training institute meant for training Government officials as a faculty members and whose work is to impart training/teaching.

(e) Staff, whether on deputation from the field or transferred or locally recruited, who are not directly engaged in imparting training/education will not be eligible for the Training allowance.

(f) Training allowance will be admissible to Faculty Members without any ceiling and will not form part of pay as defined in FR(9)(21)(2003(21)-R-II but, however, will count for purpose of leave salary.

(g) The admissiblility of the allowance in each individual case will be examined by a Committee at an appropriate level to be consituted by the General Manager in consultation with his FA & CAO.

The General Manager would constitute a committee consisting of 3 HODs for screening gazetted Trainers and a Screening Committee separately consisting of 3 JA Grade officers for screening non-gazetted Trainers for the purpose. He would ensure personally that before the Training School and Trainers are sanctioned this allowance, they must satisfy the guidelines already notified. The committee will screen the existing incumbents drawn on deputation in terms of Board's instruction contained in their letter No. E(MPP)86/13/2 dated 29.6.90 read with letter No. E(MPP)86/13/2 dated 16.11.90and would complete the process expeditiously.

--3/-

The trainers not recommended by the Committee should be repatriated to their respective parent cadres. Ad-hoc appointees will not be allowed this Training allowance till they are regularised.

(h) Deputation period of Faculty members shall not exceed five years in any case and under any circumstances.

6. These orders will take effect from 1.1.1993.

7. This has the sanction of the President and issued with the concurrence of the Finanace Directorate of the Ministry of Railways.

(R.D. LAKHANPAL)
DIRECTOR, ESTABLISHMENT(RRB)
RAILWAY BOARD.

No. E(MPP)90/13/4 New Delhi, dated 30-3-93.

Copy forwarded for information to Director, Audit, Central Railway.

for Financial Commissioner, Railways.

No.E(MPP)90/13/4 New Delhi, dt 30-3-93.

1. FA & CAO, Central Railway, Bombay.

(R.D. Lakhanpal)
Director, Estt(RRB)
Railway Board.

No.E(MPP)90/13/4 New Delhi, dt 30-3-93.

Copy forwarded for information to:-

1. Members of Departmental Council, JCM
2. General Secretary/NFIR, New Delhi (with 40 spares)
3. General Secretary/AIRF, New Delhi(with 40 spares)

K. Subramanian
for Secretary,
Railway Board.

Copy to:
Secretary, ED(T&MPP), Director(MPP), E(NG)I, E(NG)II, E(TRG), E(P&A)I,E(P&A)II,FE-II,PC-IV,E(LR)I & FE(with 5 spares.).

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एम पी पी)90/13/4 नई दिल्ली, दि0 30.3.1993

महाप्रबंधक,
मध्य रेलवे,
बम्बई वी.टी.

विषय:- कल्याण और कुर्ला में ड्राइवरस् ट्रेनिंग स्कूल और मोटरमैन ट्रेनिंग स्कूल(जो अब प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में पदनामित हैं) में नियोजित संकाय के सदस्यों को प्रशिक्षण भत्ते के रूप में वित्तीय प्रोत्साहन ।

संदर्भ :- आपका 17.1.1991 का पत्र सं. एच पी बी/854/टी/डी/टी आर/स्पे. पे.

कृपया इस मंत्रालय के 28.3.89 और 5.2.91 के पत्र सं. ई(एम पी पी)88/13/2 का अवलोकन करें जिनमें विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं को प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय की स्वीकृति संसूचित की गयी थी ।

2. रेल मंत्रालय ने अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने के लाभ को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया था । बोर्ड के साथ संयुक्त परामर्श तंत्र की विभागीय परिषद की बैठक में हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप अब यह विनिश्चय किया गया है कि बोर्ड के 14.9.92 के पत्र सं. ई(एम पी पी) 92/13/3 द्वारा संसूचित अनुदेशों के अनुसार कल्याण और कुर्ला में क्रमश: ड्राईवरस् ट्रेनिंग स्कूल और मोटरमैन ट्रेनिंग स्कूल(जो अब प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में पदनामित हैं) में प्रशिक्षण देने के प्रयोजन के लिए फील्ड में प्रतिनियुक्ति पर आए प्राध्यापक वर्ग को मूल वेतन के 15% की दर से प्रशिक्षण भत्ता दिया जाए ।

3. कल्याण और कुर्ला में प्रशिक्षण केन्द्रों के मामले में, सहायक बिजली इंजीनियर के दो पदों को प्रिंसिपल के रूप में पुन: पदनामित किया गया है और फिलहाल उनके लिए सहा. बि. इंजी. के कार्यों को निष्पादित करना अपेक्षित है । चूंकि, प्रशिक्षण संस्थानों का प्रबंध एक पूर्णकालिक कार्य है, अत: यह आवश्यक है कि प्रिंसिपल पद के पदधारियों को केवल इन कार्यों पर ही लगाया जाए ।

....2..

अतः इन केन्द्रों के प्रिंसिपलों द्वारा पूर्णकालिक आधार पर ये पद धारण करने और नीचे पैरा 5 (छ) में दिए गए विवरण में दिए गए तरीके से प्रवरण करने के पश्चात् वे प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किए जाने के पात्र होंगे ।

4. इस विचार से कि इन प्रशिक्षण संस्थानों के प्रिंसिपल प्रशिक्षण पर यथोचित ध्यान दें और उपयुक्त पर्यवेक्षण करें, यह भी आवश्यक है कि ये प्रिंसिपल इन संस्थानों में उपस्थित रहें । प्राध्यापक-वर्ग को 15% प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करना सहा. नि. इंजी. पर निर्भर करता है जिन्होंने प्रशिक्षण केन्द्रों का संपूर्ण प्रशासनिक दायित्व संभाला हुआ है । वे, वस्तुतः सभी प्रशासनिक कार्यों के मुख्य प्रशिक्षकों को कार्यभार मुक्त करेंगे जो तब कर्मचारियों को सीधा प्रशिक्षण देंगे ।

5. प्रशिक्षण भत्ते की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित मार्गनिर्देशों का अनुसरण किया जाए :-

(क) संकाय के सदस्य, जो फील्ड से प्रतिनियुक्ति पर बुलाए गए हैं तथा जिनका कार्य प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण/शिक्षा देना है, को संशोधित वेतनमान में मूल वेतन के 15% की दर से प्रशिक्षण भत्ता दिया जाए ;

(ख) जैसा कि उपर्युक्त पैरा (क) में उल्लेख किया गया है, प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किए जाने के फलस्वरूप, इन स्कूलों से प्रतिनियुक्ति पर बुलाए गए संकाय के सदस्यों को मौजूदा प्रशिक्षण भत्ता, विशेष वेतन, प्रतिनियुक्ति वेतन और उस पर भत्ता अनुमेय नहीं होगा ।

(ग) प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सीधे और विशेष रूप से भर्ती किए गए संकाय के सदस्य इस प्रशिक्षण भत्ते के लिए पात्र नहीं हैं ।

(घ) संकाय का मतलब सरकार के "उस कर्मचारी से है जो सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए बनाए गए प्रशिक्षण संस्थान में संकाय के सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करता है और जिसका कार्य प्रशिक्षण/शिक्षा देना है.

(ङ.) कर्मचारी, चाहे वह फील्ड से प्रतिनियुक्ति पर आए हों या स्थानांतरित किए गए हों अथवा स्थानीय रूप से भर्ती किए गए हों, जो कि प्रशिक्षण/शिक्षा देने में प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगे हुए हैं, प्रशिक्षण भत्ते के पात्र नहीं होंगे ।

....3..

(च) संकाय के सदस्यों के लिए बिना किसी सीमा के प्रशिक्षण भत्ता स्वीकार्य होगा और जैसाकि एफ आर(9) (21) (2003(21)-आर-II में परिभाषित है, वह उनके वेतन का हिस्सा नहीं होगा परंतु, छुट्टी वेतन के प्रयोजन के लिए उसकी गणना की जाएगी ।

(छ) प्रत्येक अलग-अलग मामले में भत्ते की अनुमेयता की उपयुक्त स्तर पर एक समिति द्वारा जांच की जाएगी जिसका महाप्रबंधक द्वारा अपने वि.स. एवं मुलेधि के परामर्श से गठन किया जाएगा ।

महाप्रबंधक राजपत्रित प्रशिक्षार्थियों की जांच के लिए एक समिति गठित करेंगे जिसमें 3 विभागाध्यक्ष होंगे तथा अराजपत्रित प्रशिक्षार्थियों की जांच के लिए एक जांच-समिति गठित करेंगे जिसमें क.प्र. ग्रेड के 3 अधिकारी होंगे । वह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षण स्कूलों और प्रशिक्षार्थियों को यह भत्ता स्वीकृत करने से पहले, वे पहले से अधिसूचित मार्गनिर्देशों को पूरा करें । बोर्ड के 16.11.90 के पत्र सं.ई(एम पी पी(86/13/2के साथ पठित 29.6.90 के पत्र सं.ई(एम पी पी(86/13/2 में अंतर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार समिति प्रतिनियुक्ति पर आए मौजूदा पदधारियों की स्क्रीनिंग करेगी । समिति द्वारा संस्तुत न किए गए प्रशिक्षार्थियों को उनके संबद्ध मूल संवर्गों में वापस भेजा जाएगा । तदर्थ नियुक्ति को इस प्रशिक्षण भत्ते की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब कि वे नियमित नहीं हो जाते ।

(ज) किसी भी दशा में और किसी भी स्थिति में संकाय के सदस्यों की प्रतिनियुक्ति की अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

6. ये आदेश 1.1.1993 से प्रभावी होंगे ।

7. इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है और रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

(आर. डी. लखनपाल)
निदेशक स्था. (रे. भ. बो.),
रेलवे बोर्ड.

...4..

सं. ई(एम पी पी)90/13/4 नई दिल्ली, दि0 .3.1993

प्रतिलिपि : निदेशक, लेखा-परीक्षा, मध्य रेलवे को सूचनार्थ प्रेषित ।

के. बिश्वाल
कृते वित्त आयुक्त, रेलें.

सं. ई(एम पी पी)90/13/4 नई दिल्ली, दि0 .3.1993

वि. स. एवं मुलेधि, मध्य रेलवे, बम्बई ।

आर. डी. लखनपाल
(आर. डी. लखनपाल)
निदेशक, स्था. (रे. भ. बोर्ड),
रेलवे बोर्ड.

सं. ई(एम पी पी)90/13/4 नई दिल्ली, दि0 .3.1993

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. विभागीय परिषद, संयुक्त परामर्श तंत्र के सदस्य.
2. जनरल सेक्रेटरी/एन एफ आई आर, नई दिल्ली को (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
3. जनरल सेक्रेटरी/ए आई आर एफ, नई दिल्ली को (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित).

के. सुब्रमणियन
कृते सचिव, रेलवे बोर्ड.